



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2009/पौष 9, 1931

No. 257]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2009/PAUSA 9, 1931

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2009

सं. भाराराप्रा/11012/147/2009-एचआर. I.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तृतीय संशोधन विनियम, 2009 से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिसूचना सं. भाराराप्रा/11012/147/2009-एचआर. I, जो 25 नवम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), में :—

- (क) उक्त अधिसूचना में उल्लिखित तारीख "नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2009" को "नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2009" पढ़ा जाए।
- (ख) उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (2) में आए "कालम 2" शब्द और अंक को "कालम 4" पढ़ा जाए।

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/2009/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना सं. भाराराप्रा/11012/147/2009-एचआर. I, तारीख 25 नवम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 25 नवम्बर, 2009 को किया गया था।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस शुद्धि-पत्र की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप हो गई किसी बात पर इस शुद्धि-पत्र के प्रख्यापन का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4746 GI/2009

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA CORRIGENDA

New Delhi, the 29th December, 2009

No. NHAI/11012/147/2009-HR.I.—In the National Highways Authority of India Notification No. NHAI/11012/147/2009-HR.I., pertaining to National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2009, published on 25th November, 2009, in the Gazette of India, Part III, Section 4 (hereinafter referred to as the said notification) :—

- (a) The date of the said notification mentioned as "New Delhi, the 23rd October, 2009" may be read as "New Delhi, the 23rd November, 2009".
- (b) In sub-para (2) of para 1 of the said notification, the word and figure "Column 2" may be read as "Column 4".

K.S. MONEY, Member (Admn.)

[ADVT III/4/122/2009-Exty.]

Foot Note : The principal regulations were published *vide* Notification No. NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended *vide* Notification No. NHAI/11012/147/2009-HR.I, dated 25th November, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th November, 2009.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Anything done or omitted to be done prior to notification of this corrigendum shall not be affected by promulgation of this corrigendum.